देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/us/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 15 मार्च 2021

अस्पताल और मॉल्स में फायर सिस्टम खराब मिले, चीफ फायर ऑफिसर से रिपोर्ट तलब

मेयर-कमिश्नर ने जहां भी विजिट की, वहां परेशानियां मिलीं; व्यवस्थाएं जांचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं

सिटी रिपोर्टर | जयपुर

14/03/2021

कमिश्नर-मेयर जहां भी विजिट कर रहे हैं, वहीं पर व्यवस्थाएं चौपट नजर आ जाती हैं। शनिवार को मेयर सौम्या गुर्जर एक बार फिर अस्पताल-मॉल पहुंची तो फायर उपकरण खराब मिले। गर्मी में आग लगने की घटनाओं को देख सभी जगह इन उपकरणों का चाक-चौबंद होना जरूरी है, लेकिन खराब हालात पर एकतरफा कार्रवाई केवल संबंधित पार्टी पर हो रही है। फायर एनओसी जारी कर फील्ड में हालात जांचने में लापरवाह निगम के सिस्टम पर कभी आंच नहीं आती। यही कारण है कि नतीजे सुखद नहीं। पिछले महीने भी मेयर के विजिट में कई मॉल्स में फायर उपकरण खराब मिले थे।

एकतरफा कार्रवाई में हर बार सिस्टम को क्यों मिल रही है छूट?

कहां क्या गड़बड़ी

- दुलर्भजी अस्पताल : पानी छोड़ने का पाइप कटा फटा मिला। पंप ऑटो-स्टार्ट नहीं मिला।
- सिटी पल्स मॉल : कर्मचारी ही नहीं मिले। पूरा पाइप लीकेज था।
- पीसीजी ज्वैलर : स्मोक डिटेक्टर बंद मिले।

अब क्या?

दौरा मेयर का था, लेकिन कार्रवाई के अधिकार कमिश्नर के पास। फिलहाल चीफ फायर ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपेगे। इसके बाद कार्रवाई की दिशा तय होगी।

लापरवाही के हालात : इतने बड़े शहर में केवल 2 हजार एनओसी

सीएफओ जगदीश फुलवारिया के मुताबिक उनके यहां करीब 2 हजार फायर एनओसी है। जबकि हकीकत में यह संख्या करीब 30 हजार के आसपास होनी चाहिए। क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, रूफ टॉप, स्कूल, कोचिंग, फैक्ट्री, सिनेमा हॉल, गैस कंपनियां, पैट्रोल पंप और दूसरे बड़े कॉमर्शियल संस्थान जहां पब्लिक की आवाजाही है, उनको यह एनओसी लेनी होती है। कम एनओसी के पीछे सिस्टम की लापरवाही, सांठगांठ और अवैध वसूली के आरोप मुखरित।

हर साल रिनुवल में गड़बड़ियां, एनओसी सिस्टम मतलब अड़ंगेबाजी : नगर निगम के फायर लाइसेंस सिस्टम ही आग लगने जैसा है। अव्वल तो हर साल रिनुवल की परेशानी है। दूसरा ऑनलाइन सिस्टम में रेस्पॉन्स सही नहीं। अड़ंगेबाजी से लोग अजीज आए रहते हैं और एनओसी को आगे नहीं आते।

नाकाबंदी कर 8 मिनट में

महापौर महोदय,
अग्निशमन विभाग की दाल में काला नहीं,
पूरी दाल ही काली है!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

फायर समिति चेयरमैन का दौरा • सामने आई हकीकत, अफसरों की अनदेखी की खुली पोल

शहर के मॉल्स में फायर कंट्रोल सिस्टम फेल मिला... नोटिस में हिदायत, जल्द ठीक करें

जयपुर | नगर निगम ग्रेटर में बने विभिन्न समितियों के चेयरमैन काम पर लग रहे हैं। इस दौरान अफसरों ने ऑनलाइन के भरोसे या पीक एंड चूक के चलते जो लापरवाही की, वह फील्ड में नजर आ रही है। बुधवार को फायर समिति के चेयरमैन ने चीफ फायर ऑफिसर के साथ दौरा किया तो जिन चार जगहों पर गए, वहीं पर लापरवाही दिखी। सभी को नोटिस देकर लापरवाही ठीक कराने को कहा गया। हालांकि मसला अफसरों की लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने का भी है।

मीटिंग में मुद्दा- मुख्यालय और पावर बंटवारे का

अग्निशमन मुख्यालय वीकेआई में कर रखा है। ऐसे में जगतपुरा से कोई वहां पहुंचे और अफसरों की अनुपस्थिति या किसी जरूरत पर बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है। चेयरमैन पारस जैन तक भी यह मसले पहुंचे हैं। उन्होंने मीटिंग में मुख्यालय लालकोठी करने की बात कही।

अब क्या? फायर समिति के अध्यक्ष पारस जैन और सदस्य पूजा गुरनानी ने कहा कि रैंडम चैकिंग बढ़ेगी। वहीं जो लापरवाही मिली उनको नोटिस जारी तक तत्काल ठीक कराया जाए।

व्यावसायिक संस्थानों की मांग-
- ऑनलाइन के बावजूद गड़बड़ियां। समयावधि दो साल की जाए।

सरकार का शिकंजा-
- एनओसी 2 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के बजाए 5 रुपए तक करेंगे

कहां-क्या लापरवाही मिली

- मालवीय नगर में एक शॉपिंग कॉम्प्लैक्स में स्मोक डिटेक्टर का ऑटो मोड बंद मिला, इससे आग लगने पर धुंआ से जो सैंसर काम करेगा वो बंद होगा तो आगजनी पर अलर्ट नहीं कर पाएगा।
- पाइप लाइन से जुड़े नोजल खराब थे। इससे पानी का प्रेशर बेहद कम। इससे आगजनी के दौरान दिक्कत हो सकती है।
- मानसरोवर में फायर सिस्टम खराब मिला।

गत माह फायर समिति चेयरमैन के दौरे के दौरान भी मिली थी अनियमितताएं|

करोडो की मंथली का खेल है अग्निशमन विभाग में!!!

अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार CFO जगदीश फुलवारी द्वारा बताया गया कि जयपुर ग्रेटर में करीब 2000 संस्थानों के पास फायर NOC है|जबकि हकीकत यह है कि जयपुर ग्रेटर में स्थित होटल,रेस्टोरेंट,स्कूल,कोलेज,कोचिंग,फेक्ट्री,सिनेमाघर,रूफ टॉप,गैस कम्पनियां,पेट्रोल पम्प,मॉल,अस्पताल और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों की गिनती की जाए तो यह 25-30000 के आस-पास होती है|महापौर महोदया द्वारा किये गए औचक निरिक्षण में सामने आया कि जिन संस्थानों द्वारा फायर NOC ले रखी है उनके अग्निशमन उपकरण भी सुचारू काम नहीं कर रहे है,गौरतलब है कि इन अग्निशमन उपकरणों का हर साल CFO और उनके मातहतों द्वारा निरिक्षण किया जाता है|

निरिक्षण के नाम पर पटाखों की दुकान से लेकर मॉल के मालिकों तक होती है मांडवाली|

अब आपको बताते है कि अग्निशमन विभाग की दाल काली कैसे है?क्षेत्र के अग्निशमन अधिकारी द्वारा निरिक्षण के नाम पर हर साल आवेदकों से 5000 से 5 लाख रूपये की वसूली की जाती है|यह वसूली दशहरे और दिवाली के अवसर पर गली मोहल्लों में लगने वाली पटाखों की दुकानों से लेकर शहर के बड़े-बड़े माल्स रेस्टोरेंट्स,होटल के मालिकों से की जाती है|सबसे बड़ी बात यह है कि यह बंधी निरिक्षण ***नहीं*** करने के लिए की जाती है यदि किसी दबाव के कारण अग्निशमन अधिकारी मौके पर आकर निरिक्षण करता है तो यह रेट और बढ़ जाती है|अग्निशमन अधिकारीयों को केवल अपनी न्योछावर से मतलब होता है भले ही उसके लिए उन्हें नियमविरुद्ध भी क्यों ना काम करना पड़े|मौके और जरुरत के हिसाब से अग्निशमन अधिकारी किसी को भी नोटिस भेज सकता है और डील हो जाने के बाद उस नोटिस को खारिज भी कर सकता है वह यह क्रम कितनी बार भी कर सकता है|आपको यकींन नहीं हो तो आपको इसके उदाहरण बताते है|

वर्ष 2019-20 हेतु लाईसेंसी श्री कल्याण साहू प्लाट न. 4 गणेश नगर,न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर को पटाखे की दुकान हेतु अस्थायी पटाखा लाईसेंस जारी किया गया था,नियमों के अनुसार यह लाईसेंस अग्निशमन अधिकारी की अनुशंसा पर ही दिया जा सकता है |वर्ष 2019-20 हेतु जारी इस लाईसेंस पर वर्तमान दोनों नगर निगमों के मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री देवेन्द्र मीना और श्री जगदीश फुलवारी के हस्ताक्षर है गौरतलब है कि इस दूकान के पास बिजली का ट्रांसफार्मर,मौजूद है जो किसी जिम्मेदार को नहीं दिखा|हमारे द्वारा इस मामले की शिकायत करने पर श्री जगदीश फुलवारी द्वारा यह कह कर परिवाद बंद कर दिया कि उनका काम अनुशंसा करना है लाईसेंस जारी करना पुलिस विभाग का काम है|जबकि पुलिस विभाग यह कह कर मामला टाल देती है कि उनका काम अग्निशमन विभाग की अनुशंसा पर लाईसेंस जारी करना है|अब आप ही बताइए इस मामले में दोषी कौन है?

... का अस्थायी लाइसेंस जारी करने के संदर्भ में बिन्दुवार ...

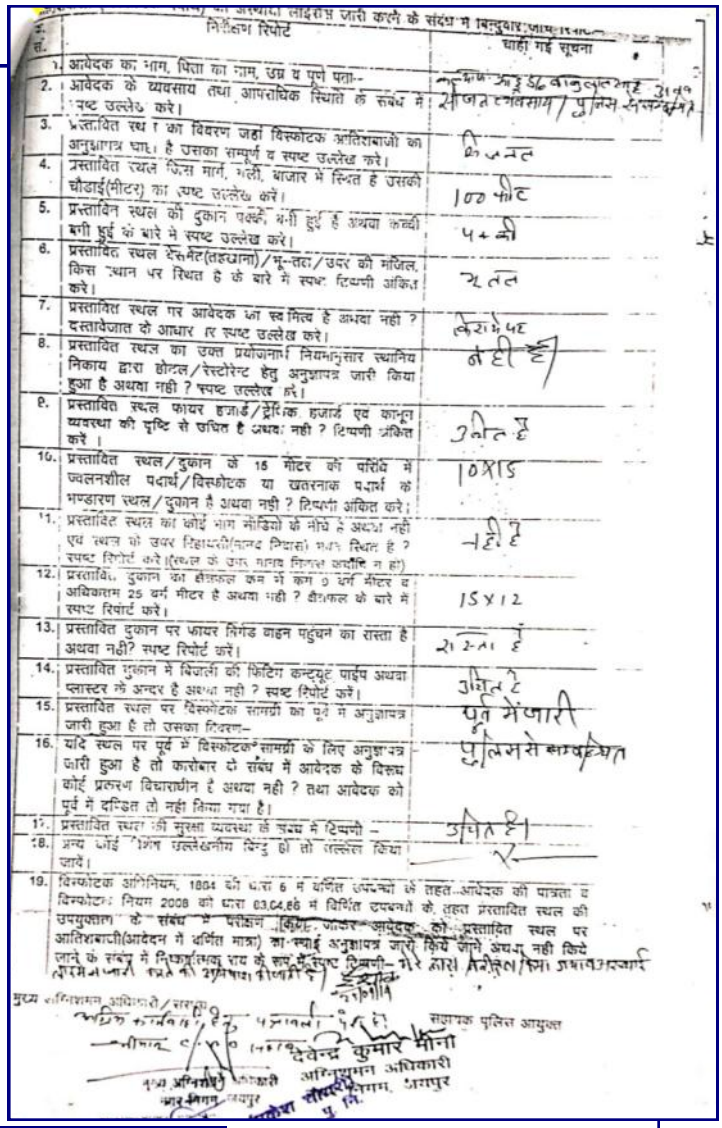

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट	चाही गई सूचना
1.	आवेदक का नाम, पिता का नाम, उम्र व पूर्ण पता--	[illegible]
2.	आवेदक के व्यवसाय तथा आपराधिक स्थिति के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करे।	[illegible] / पुलिस [illegible]
3.	प्रस्तावित स्थान का विवरण जहां विस्फोटक आतिशबाजी का अनुज्ञापत्र चाहा है उसका सम्पूर्ण व स्पष्ट उल्लेख करे।	[illegible]
4.	प्रस्तावित स्थल किस मार्ग, गली, बाजार में स्थित है उसकी चौडाई(मीटर) का स्पष्ट उल्लेख करें।	100 फीट
5.	प्रस्तावित स्थल की दुकान पक्की बनी हुई है अथवा कच्ची बनी हुई के बारे मे स्पष्ट उल्लेख करे।	पक्की
6.	प्रस्तावित स्थल बेसमेंट(तहखाना)/भू-तल/उपर की मंजिल, किस स्थान पर स्थित है के बारे में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करे।	भू तल
7.	प्रस्तावित स्थल पर आवेदक का स्वामित्व है अथवा नही ? दस्तावेजात के आधार पर स्पष्ट उल्लेख करे।	किरायेदार
8.	प्रस्तावित स्थल का उक्त प्रयोजनार्थ नियमानुसार स्थानिय निकाय द्वारा होटल/रेस्टोरेन्ट हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ है अथवा नही ? स्पष्ट उल्लेख करे।	नहीं है
9.	प्रस्तावित स्थल फायर हजार्ड/ट्रैफिक हजार्ड एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित है अथवा नही ? टिप्पणी अंकित करें।	उचित है
10.	प्रस्तावित स्थल/दुकान के 15 मीटर की परिधि में ज्वलनशील पदार्थ/विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ के भण्डारण स्थल/दुकान है अथवा नही ? टिप्पणी अंकित करे।	10X15
11.	प्रस्तावित स्थल का कोई भाग सीढियो के नीचे है अथवा नही एवं स्थल के उपर रिहायशी(मानव निवास) भवन स्थित है ? स्पष्ट रिपोर्ट करे।(स्थल के उपर मानव निवास अपेक्षित न हो)	नहीं है
12.	प्रस्तावित दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 9 वर्ग मीटर व अधिकतम 25 वर्ग मीटर है अथवा नही ? क्षेत्रफल के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट करे।	15X12
13.	प्रस्तावित दुकान पर फायर बिग्रेड वाहन पहुंचने का रास्ता है अथवा नही? स्पष्ट रिपोर्ट करें।	रास्ता है
14.	प्रस्तावित दुकान मे बिजली की फिटिंग कन्ड्यूट पाईप अथवा प्लास्टर के अन्दर है अथवा नही ? स्पष्ट रिपोर्ट करें।	उचित है
15.	प्रस्तावित स्थल पर विस्फोटक सामग्री का पूर्व मे अनुज्ञापत्र जारी हुआ है तो उसका विवरण–	पूर्व में जारी
16.	यदि स्थल पर पूर्व में विस्फोटक सामग्री के लिए अनुज्ञापत्र जारी हुआ है तो कारोबार के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा नही ? तथा आवेदक को पूर्व में दण्डित तो नहीं किया गया है।	पुलिस से [illegible]
17.	प्रस्तावित स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध मे टिप्पणी –	उचित है।
18.	अन्य कोई भिन्न उल्लेखनीय बिन्दु हो तो उल्लेख किया जावें।	
19.	विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 में वर्णित उपबन्धों के तहत आवेदक की पात्रता व विस्फोटक नियम 2008 की धारा 83,84,86 में विर्णित उपबन्धों के तहत प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता के संबंध में परीक्षण किये जाकर आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर आतिशबाजी(आवेदन में वर्णित मात्रा) का स्थाई अनुज्ञापत्र जारी किये जाने अथवा नही किये जाने के संबंध में निष्कर्षात्मक राय के रूप में स्पष्ट टिप्पणी– [illegible]	

मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ [illegible]

सहायक पुलिस आयुक्त

देवेन्द्र कुमार मीना
अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

उदाहरण-1

लाईसेंसी श्री कल्याण साहू प्लाट न. 4 गणेश नगर,न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर वर्ष 2019-20 हेतु दिया गया अस्थायी पटाखा लाईसेंस,इस दूकान के पास स्थित ट्रांसफार्मर,जो किसी जिम्मेदार को नहीं दिखा|

भूखंड संख्या 4,पी.डब्ल्यू.डी. चौकी,बी-2 बाईपास पर स्थित जयपुर सेंटर की 5th और 6th फ्लोर पर बने अवैध कोरिडोर का है मामला|

जयपुर सेंटर डवलपर्स प्रा.लि. द्वारा बी-2 बाईपास पर बनाये गए जयपुर सेंटर की बिल्डिंग की 5वें और 6ठे फ्लोर पर आम जन के लिए आने-जाने के बने कोरिडोर पर भी जे.डी.ए. के स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण करवा कर मोटे किराए पर दे दिया था,जिसकी शिकायत को सही मानकर,कायवाही करते हुए जे.डी.ए. और अग्निशमन विभाग द्वारा सील करने के नोटिस दिए गए थे|

परन्तु ना जाने क्या हुआ कि इन्ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा नोटिस देने के महज दो महीनों में ही अपने नोटिस को खारिज करते हुए जयपुर सेंटर की बिल्डिंग की 5वें और 6ठे फ्लोर पर आम जन के लिए आने-जाने के बने कोरिडोर पर किये गए अतिक्रमणों को सही ठहरा दिया गया|

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक:– 2146 दिनांक:– 22/11/19

नोटिस

प्रबन्धक,
जयपुर सेन्टर,
भूखण्ड संख्या 4, पी डब्लू डी चौकी,
बी–2 बाईपास जयपुर।

विषय:– फायर प्रीवेन्शन तथा एन0ओ0सी0 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नोटिस के क्रम में लेख है कि NBC & IV^th^ के अन्तर्गत आने वाले सभी भवन/उपक्रम हेतु फायर NOC की अनिवार्यता है तथा अग्निशमन संबंधी संपूर्ण व्यवस्था क्रियाशील अवस्था में रखा जाना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान आपके भवन/उपक्रम में उक्त स्थल की फायर अनापत्ति तो ले रखी है। पर इस बिल्डिग की पांचवी और छठी मंजिल के दो गलियारों पर निर्माण करवा लिया जाना पाया गया है जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगो का बचना नामुमकिन सा हो गया है। अतः उक्त मजिलों के दोनो गलियारों को बाधा रहित /निर्माण को हटवाया जावे जिससे आपातकालीन स्थिति में कोई जनहानि ना हो। उक्त नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिवस में उक्त की पूर्ति कर विभाग को सूचित करे। अन्यथा फायर अनापत्ति निरस्त कर दी जावेगी साथ ही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सूचित रहे:–

22/11/19
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी द्वारा दिनांक 22/11/2019 को जारी किया गया नोटिस,जिसमे जयपुर सेंटर की पांचवी और छठी मंजिल के अतिक्रमणों को हटाने को कहा गया |

उदाहरण-2

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर जयपुर

क्रमांकः एफ.9( )आ.फा./ज.न.नि./19-20/2168 दिनांक 30/1/2020

प्रबन्धक,
जयपुर सेन्टर,
भूखण्ड संख्या 4, पी डब्लू डी चौकी,
बी-2 बाईपास जयपुर।

विषयः- फायर प्रीवेन्शन तथा एन0ओ0सी0 के संबंध में दिये गये नोटिस बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में इस विभाग में श्री राम प्रसाद शर्मा एडवोकेट एंव जनरल सेकेट्री गोपालपुरा बाईपास व्यापार संघ (रजि.) ऑफिस पता 533, 532 जयपुर सेन्टर भूखण्ड संख्या 4 पीडब्लूडी चौकी बी-2 बाईपास जयपुर द्वारा परिवाद दायर कर भूखण्ड संख्या 4, पीडब्लूडी चौकी, बी-2, बाईपास पर स्थित जयपुर सेंटर को जारी फायर एनओसी के उल्लंखन के सम्बन्ध में कार्यवाही बाबत् किया गया था। उक्त परिवाद के सम्बन्ध में पूर्व मे इस विभाग के पंत्राक 2146 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा नोटिस जारी किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा दिनांक 27.11.2019 को विभाग में पत्र प्रेषित कर जानकारी दी गई है कि वास्तुविद श्री पी.एन भार्गव द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में दिये संशोधित भवन मानचित्र के अनुसार सभी तनकीकी नियमों की पालना कि गई है व भवन का इस्तेमाल कामर्शियल के रूम में किया जाना बताया है। निर्माण सभी नियमों की पालना करते हुये किया है व उक्त वास्तुविद के द्वारा कम्पलीटिशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। एनओसी के नियमानुसार किसी भी प्रकार का उल्लधन नही किया है व जयपुर विकास प्राधिकर से अनुमोदित मानचित्र, अधिवास प्रमाण पत्र की प्रति व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये थे।

पुनः विभाग द्वारा पत्रांक 2408 दिनांक 18.12.2019 को नोटिस द्वारा जारी कर सूचित किया गया था कि आप द्वारा बिल्डिग की पांचवी और छठी मंजिल के दो गलियारों पर निर्माण करवा लिया जाना बताया है जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगो का बचना नामुमकिन सा होना बताया था। अतः उक्त मजिलों के दोनो गलियारों को बाधा रहित /निर्माण को हटवाया जावे जिससे आपातकालीन स्थिति में कोई जनहानि ना हो, अन्यथा फायर अनापत्ति निरस्त कर दी जावेगी साथ ही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा। साथ ही आप सभी पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि विभाग में प्रस्तुत हेतु नोटिस में लिखा गया था।

पुनः आप द्वारा दिनांक 29.01.2020 को विभाग में प्रार्थना पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत किये है अतः सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि आप द्वारा भवन में एनबीसी पार्ट चतुर्थ के टेबल पॉच की पालना की गई है। इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदित मानचित्रों का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि भवन का चतुर्थ तल जो जयपुर विकास के बी.पी.सी द्वारा अप्रुड है। इसके अतिरिक्त भवन के पॉचवे व छठी मंजिल में गलियारे भी आग से बचाव व सुरक्षा हेतु अग्निशमन के पर्याप्त यन्त्र/उपकरण स्थापित किये हुये है जो वर्तमान में मौका निरीक्षण के दौरान सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये है। अतः इन सभी दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा निर्माण नियमानुसार है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर
हैरिटेज एवं ग्रेटर जयपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी द्वारा दिनांक 30/01/2020 को जारी किया गया पत्रांक,जिसमे जयपुर सेंटर की पांचवी और छट्ठी मंजिल के अतिक्रमणों को सही बताया गया है|

अग्निशमन विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर!!!

वाहनों की खरीद प्रक्रिया,विभिन्न टेंडरों में भयंकर अनियमितताएं!!!

फायर NOC के नाम पर हो रही, धांधलियों के एक नहीं सौ उदाहरण!!!

मामले सामने आने के बावजूद बच जाते हैं जिम्मेदार अधिकारी!!!

ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद,आवेदक काटते हैं अग्निशमन विभाग के चक्कर!!!

नगर निगम में विभिन्न संस्थानों को जारी लाईसेंसों की सूची सार्वजनिक नहीं!!!

कई संस्थानों को नियम विरुद्ध फायर NOC जारी!!!